अध्याय 16-अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

चर्चा उठाने की सूचना.

139. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख करते हुए सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा :

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भी संलग्न होगी :

परन्तु यह और भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होगा.

अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा.

140. यदि सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है और सभा में जल्दी ही उठाये जाने के लिये पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्रहण कर सकेगा और सभा नेता के परामर्श से ऐसी तिथि निश्चित कर सकेगा जब ऐसा विषय चर्चा के लिये लिया जा सके और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो डेढ़ घंटे से अधिक न हो :

परन्तु यदि ऐसे विषय पर चर्चा के लिये अन्य अवसर जल्दी उपलब्ध होने वाला हो, तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इंकार कर सकेगा.

कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जावेगा.

141. सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा. जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा. जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी.

भाषणों के लिये समय-सीमा.

142. अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, भाषणों के लिये समय सीमा विहित कर सकेगा.

अध्याय 16-क - अल्पकालीन चर्चा.

चर्चा उठाने की सूचना.

142-क. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा :

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी :

परन्तु यह और भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होगा.

अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय और समय का नियतन करेगा.

142-ख. (1) यदि अध्यक्ष की, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे समाधान हो जावे कि विषय अविलम्बनीय है और सभा में जल्दी ही उठाए जाने के लिये पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्राह्य कर सकेंगे :

परन्तु यदि ऐसे विषय पर चर्चा के लिए अन्यथा जल्दी अवसर उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्राह्य करने से इंकार कर सकेंगे.

(2) अध्यक्ष एक सप्ताह में ऐसी दो बैठकें नियत कर सकेंगे जब ऐसे विषय चर्चा हेतु लिये जा सकें और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो 45 मिनट से अधिक न हो.

कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जावेगा.

142-ग. सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा. जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले सूचित कर दिया हो उसे चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी.

भाषणों के लिये समय-सीमा.

142-घ. अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, भाषणों के लिये समय-सीमा विहित कर सकेगा.